चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः-प.13(2)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांकः 09.11.2022

-: आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार राज्य के 13 जिलों (बारां, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडगढ, चुरू, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर) की 14 नगरीय निकायों में उप चुनाव माह नवम्बर, 2022 से संबंधित प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त नगरीय निकायों में निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 10.11.2022 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 25.11.20222 (शुक्रवार) को होगा। अतः आदर्श आचार संहिता के भाग-7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर लालबत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाएें।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें। उक्त आदर्श संहिता बोर्ड/निगम के अध्यक्ष, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है पर भी समान रूप से लागू होंगे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैली किशनानी)
विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव (जीजी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव ,राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान,जयपुर को उनके पत्र कमांक 11269 दिनांक 28.10.2022 के कम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निबन्धक ,राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. संभागीय आयुक्त कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर।
16. जिला कलक्टर बारां, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडगढ, चुरू, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर।
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1,3,4,5,6)विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ठ शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग
क्रमांक 1026310
दिनांक 1/11/2022
दिनांक : 28.10.22

क्रमांक : एफ. 4(2)(2)नपा/रानिआ/ 2022/ 11269

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– नगरीय निकायों के उप चुनाव माह नवम्बर, 2022 – आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 13 जिलों में 14 सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 10.11.2022 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 25.11.2022 को होगा। रिक्त पदों की सूची एवं उप चुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करवायी जावे। आदर्श आचरण संहिता की पालना हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है :–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलो या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुडे सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

सलंग्नः– 1. चुनाव कार्यक्रम एवं रिक्त पदों की सूची।
2. आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका

आज्ञा से,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव
दिनांक : 28.10.22

क्रमांक : एफ. 4(2)(2)नपा/रानिआ/ 2022/ 11270

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बारां, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

(561)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकाय सदस्यों के उप चुनाव नवम्बर, 2022 –

उप चुनाव कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	10.11.2022 (गुरूवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	14.11.2022 (सोमवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक (रविवार को छोड़कर)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	15.11.2022 (मंगलवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	17.11.2022 (गुरूवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	18.11.2022 (शुक्रवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	25.11.2022 (शुक्रवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	27.11.2022 (रविवार) प्रातः 9.00 बजे से

राज्य निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, सिकारा खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 4(2)(2)नपा/रानिआ/ 2022/ 11266 दिनांक : 28.10.22

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– नगरीय निकायों के उप चुनाव माह नवम्बर, 2022 – अभ्यर्थियों द्वारा अथवा उनकी ओर से राजनैतिक नेताओं या कर्मचारियों द्वारा स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के वाहनों के प्रयोग का निषेध।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 13 जिलों में नगरीय निकायों के 14 सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 10.11.2022 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 25.11.2022 को होगा। रिक्त पदों की सूची एवं उप चुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता भी लागू हो गई है।

स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, आदि के वाहनों का चुनाव प्रचार से संबंधित कार्यों के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रयोग में लेना राजकीय तंत्र का दुरुपयोग माना जावेगा, क्योंकि ये निकाय किसी न किसी रूप में सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा पोषित होते हैं। मतदाताओं का ऐसे वाहनों में मतदान केन्द्र तक प्रवहण (Free Conveyance) भी एक निर्वाचन अपराध एवं भ्रष्ट आचरण है। इसलिए निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए राजकीय वाहनों का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए।

अतः अनुरोध है कि जिले में कार्यरत ऐसे स्थानीय निकायों जैसे– नगरपालिकाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों, आदि से संबंधित समस्त अधिकारियों को तुरन्त अलंघनीय निर्देश जारी करें कि निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा होने तक इन निकायों के वाहनों का निर्वाचन के कार्यों के लिए अभ्यर्थियों और उनके लिए कार्य कर रहे पदाधिकारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी रूप में उपयोग में लेना निषिद्ध रखें।

संलग्न :– रिक्त पदों की सूची एवं चुनाव कार्यक्रम।

भवदीय,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक : एफ. 4(2)(2)नपा/रानिआ/ 2022/ 11267-68 दिनांक : 28.10.22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

E:\NAGARPALIKA\00 NP\0 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(2) NP SEC 2022_bye-election, 2022.doc
50

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवंPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक : एफ. 4(2)(2)नपा/रानिआ/ 2022/ 11246 दिनांक : 28.10.22

प्रैस–नोट

आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में दिनांक 31.07.2022 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए कुल 14 सदस्यों के पदों पर उप चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र.सं.	नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड का विवरण
1.	बारां	1.	न.पा. अन्ता	03
		2.	न.पा. छबड़ा	15
2.	बीकानेर	3.	न.नि.बीकानेर	5
3.	बून्दी	4.	न.प. बून्दी	54
4.	चित्तौड़गढ़	5.	न.प. चित्तौड़गढ़	28
5.	चूरू	6.	न.पा. सरदारशहर	32
6.	दौसा	7.	न.पा. लालसोट	30
7.	जयपुर	8.	न.नि. जयपुर हैरिटेज	66
8.	जैसलमेर	9.	न.प. जैसलमेर	2
9.	झुन्झुनू	10.	न.पा. चिड़ावा	05
10.	जोधपुर	11.	न.पा. फलौदी	31
11.	करौली	12.	न.प. करौली	07
12.	कोटा	13.	न.पा. रामगंजमण्डी	10
13.	श्रीगंगानगर	14.	न.पा. पदमपुर	21

उप चुनाव हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	10.11.2022 (गुरूवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	14.11.2022 (सोमवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक (रविवार को छोड़कर)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	15.11.2022 (मंगलवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	17.11.2022 (गुरूवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	18.11.2022 (शुक्रवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	25.11.2022 (शुक्रवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	27.11.2022 (रविवार) प्रातः 9.00 बजे से

उक्त उप चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से संपन्न कराए जायेगें।

- **मतदाताओं की पहचान**

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (आयोग के आदेश क्रमांक 559 दिनांक 07.02.2019)

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण–पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

- **आदर्श आचरण संहिता**

उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक : एफ. 4(2)(2)नपा/रानिआ/ 2022/ 11247-52 दिनांक : 28.10.22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/सामान्य प्रशासन/कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बारां, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चुरु, दौसा,जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव